

**क्रमांक 3323162/छ.ग./2023/
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़,
शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक सेक्टर -19,
नवा रायपुर ,अटल नगर, जिला - रायपुर**

दिनांक /01/2026

--: आदेश :-

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक एफ 01-16/31/स्था./2020, दिनांक 29.10.2024 द्वारा वित्त विभाग के टीप क्रमांक 1491/ बजट-2/वित्त/चार 2024, दिनांक 23.10.2024 से रिक्त पदों पर भर्ती की सहमति प्रदान किये जाने के परिपालन में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, नवा रायपुर अटल नगर के माध्यम से दिनांक 20.07.2025 को आयोजित परीक्षा के परिणाम के आधार पर जारी विज्ञप्ति में दी गई कंडिकाओं के अनुरूप मेरिट सूची के अनुसार दस्तावेज सत्यापन उपरांत विभागीय छानबीन समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) उपभियंता (विद्युत/यांत्रिकी) के पद पर वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 के वेतन मैट्रिक्स रु. 35400-112400 (लेवल-8) एवं शासन द्वारा समय-समय पर देय मंहगाई भत्ता प्रतिमाह पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये कार्यालय में निम्नलिखित शर्तों पर नियुक्त कर पदस्थ किया जाता है :-

स. क्र.	अभ्यर्थी का नाम	माता/पिता/पति का नाम	वर्तमान पता	संवर्ग	जन्मतिथि	Overall Rank	Cat. Rank	कार्यालय जहाँ पदस्थ किया जाता है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अश्वनी यादव	लेखराम यादव	श्रद्धा साड़ी सेंटर, लटियापार, गायत्री मंदिर के पास, मस्तूरी, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) पिन नं. 495551	अनारक्षित (अ.पि.व.)	23.04.1995	2	2	कार्यपालन अभियंता, वि./यां. मिनीमाता बांगो संभाग, माचाडोली मुख्यालय-कटघोरा
2.	अभिजीत दवे	सिद्धार्थ कुमार दवे	S/o एस.के. दवे, बैकुण्ठपुर, पीपल पेड़ के पास, रायगढ़ जिला- रायगढ़ (छ.ग.) पिन नं. 496001	अनारक्षित	27.06.1996	4	0	कार्यपालन अभियंता, वि./यां. मिनीमाता बांगो संभाग, माचाडोली मुख्यालय-कटघोरा
3.	शशिकांत राठौर	अमृत लाल	ग्राम-हालाहुली, तह.- खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) पिन नं. 496661	अ.पि.व.	22.04.1993	5	4	कार्यपालन अभियंता, वि./यां. लाईट मशीनरी नलकूप गेट संभाग, सकरी बिलासपुर
4.	वेदप्रकाश सिदार	भुवाल सिंह सिदार	आवास नं.-51, सेक्टर-1, सड़क-1, प्रोफेसर कालोनी रायपुर (छ.ग.) पिन नं. 492001	अ.ज.जा.	13.08.1993	28	1	कार्यपालन अभियंता, वि./यां. भारी संयंत्र संभाग, रायपुर
5.	खुशबू सोरी	बी.एल. सोरी	शारदा नगर रुद्री, धमतरी मकान नं.-26, ग्राम-रुद्री जिला-धमतरी (छ.ग.)	अनारक्षित (अ.ज.जा.) (महिला)	24.03.1998	31	2	कार्यपालन अभियंता, वि./यां. भारी संयंत्र संभाग, रुद्री
6.	अमन खरे	आर.पी. खरे	C/o आर.पी. खरे (भण्डारी प्लॉट के पास) अरविन्द नगर, बंधवापारा सरकण्डा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन नं. 495006	अ.ज.जा.	21.01.1994	54	1	कार्यपालन अभियंता, वि./यां. भारी संयंत्र संभाग, सकरी
7.	अनिकेत खलखो	चार्ल्स खलखो	वार्ड नं. 04 मुक्तिपारा, फुन्डूरडिहारी, अंबिकापुर सरगुजा (छ.ग.) पिन नं. 497001	अ.ज.जा.	28.05.2000	88	4	कार्यपालन अभियंता, वि./यां. मिनीमाता बांगो संभाग, माचाडोली मुख्यालय-कटघोरा

स. क्र.	अभ्यर्थी का नाम	माता/पिता/पति का नाम	वर्तमान पता	संवर्ग	जन्मतिथि	Overall Rank	Cat. Rank	कार्यालय जहाँ पदस्थ किया जाता है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	शशि किरण माण्डवी	शिव प्रसाद माण्डवी	S/o शिव प्रसादर माण्डवी सोनपुरी रोड, इंदिरा कालोनी, बलौदाबाजार जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) पिन नं. 493332	अ.ज.जा.	01.11.1981	151	5	कार्यपालन अभियंता, वि./यां. भारी संयंत्र संभाग, सकरी
9.	नीलकंठ सिंह	चतुर राम	शिक्षक नगर स्टेशन पारा, वार्ड-13, राजनांदगांव (छ.ग.)	अ.पि.व. (भू.पू.सै.)	07.08.1984	1173	597	कार्यपालन अभियंता, वि./यां. भारी संयंत्र संभाग, रुद्री
10.	विनय कुमार लहरे	जयनारायण लहरे	मकान नं.-03, वार्ड नं. 06, संजय नगर, कुम्हारी जिला-दुर्ग (छ.ग.) पिन नं. 490042	अ.जा. (भू.पू.सै.)	06.08.1983	1650	191	कार्यपालन अभियंता, वि./यां. लाईट मशीनरी नलकूप एवं गेट संभाग, सकरी

2. नियुक्ति की अन्य शर्तें :-

- (1) किसी भी समय एक माह के पूर्व सूचना नियुक्तकर्ता को देकर या नियुक्तकर्ता अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को देकर छत्तीसगढ़ सेवा (अस्थाई तथा अर्धस्थाई) नियम 60 के उपनियम 12 के अंतर्गत सेवा समाप्त की जा सकती है तथा एक माह की सूचना दिये बिना यदि वे अपनी अस्थाई सेवा छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें एक माह का वेतन तथा भत्ता या ऐसी अवधि का वेतन जो एक माह की सूचना अवधि से कम न हो देना होगा।
- (2) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2017/1/3 दिनांक 28.07.2020 एवं छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के परिपत्र क्रमांक 571/260/वि/नि/चार/2020 दिनांक 12.09.2023 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सीधी भर्ती के पद पर चयनित उक्त उप अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी) की परिवीक्षा अवधि 03 वर्ष की होगी। पूर्णतः उपयुक्त पाये जाने पर नियमित किया जावेगा।
- (3) परिवीक्षा अवधि में पदस्थापना स्थल परिवर्तित नहीं किया जावेगा।
- (4) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जानकारी अथवा कोई तथ्य भविष्य में असत्य पाये जाने पर बिना किसी सूचना के सेवा से पृथक कर दिया जायेगा।
- (5) अभ्यर्थी को मेडिकल बोर्ड से शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र (फिटनेस सर्टिफिकेट) उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- (6) पदस्थापना कार्यालय में उपस्थित देते समय शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- (7) अभ्यर्थी द्वारा चरित्र सत्यापन हेतु जानकारी अनुप्रमाणन-पत्र निर्धारित प्रपत्र में मूलतः प्रस्तुत का चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र एक माह के अंदर संबंधित कार्यालय द्वारा पुलिस विभाग से प्राप्त करना होगा। पुलिस द्वारा दिये गये उनके चरित्र सत्यापन में किसी प्रकार की प्रतिकूल टीप/अपराधिक गतिविधियाँ पाये जाने पर नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जावेगी।
- (8) छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का परिपत्र क्रमांक 282/एफ 2016-04-03289/वि/नि/चार दिनांक 11.05.2022 में किये गये प्रावधान के अनुसार पेंशन योजना लागू होगी।
- (9) अभ्यर्थियों को उनके पदस्थ किये गये कार्यालय में पदस्थापना आदेश के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर अपनी उपस्थिति देना अनिवार्य है। बिना सक्षम अनुमति प्राप्त किये निर्धारित तिथि तक उपस्थित नहीं होने की स्थिति में उनकी में नियुक्ति स्वयंमेव निरस्त मानी जाएगी।
- (10) तकनीकी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र एवं जन्म प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- (11) चयनित अभ्यर्थी को वर्क्स डिपार्टमेंट मेन्युअल भाग-1 पैरा 1.055 एवं 1.056 के अनुसार लेखा एवं यांत्रिकी परीक्षा 3 वर्ष के अंदर उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।
- (12) कार्यग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- (13) उपअभियंता (विद्युत/यांत्रिकी) के पद पर वरिष्ठता का निर्धारण मेरिट क्रम अनुसार रहेगा।

- (14) आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के सदस्य होने संबंधित दी गई जानकारी/प्रमाण पत्र यदि गलत पाये गये तो संबंधित उम्मीदवार/अभ्यर्थी, बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किये जाने का उत्तरदायी होगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही भी की जा सकेगी। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि कार्यभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ उपस्थित होवे अन्यथा कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जायेगा।
3. प्रमाणित किया जाता है कि इन नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण/रोस्टर संधारित करने संबंधी नियमों/आदेशों का पालन किया गया है।
4. उपरोक्त नियुक्तियों माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी.) क्रमांक 19668/2022 में पारित होने वाले अंतिम आदेश के अध्याधीन होंगी।



(इन्द्रजीत उइके)

प्रमुख अभियंता,

जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़

नवा रायपुर अटल नगर

रायपुर, दिनांक 13/01/2026

पृष्ठांकन क्रमांक 3323162/छ.ग./2023
प्रतिलिपि :-

1506

- (1) विशेष सहायक, माननीय मुख्यमंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
 - (2) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर शासन के पत्र क्रमांक एफ 01-16/31/स्था./2020, दिनांक 29.10.2024 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
 - (3) समस्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग,
 - (4) समस्त अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग,
 - (5) अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस. प्रकोष्ठ कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया विभागीय वेबसाईट में <http://www.cgwrđ.in> तत्काल अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।
 - (6) समस्त कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग,
 - (7) संबंधित अभ्यर्थी कृपया अपना पदस्थीकरण आदेश जल संसाधन विभाग की विभागीय वेबसाईट में <http://www.cgwrđ.in> से डाउनलोड कर अपने पदस्थी कार्यालय में उपस्थिति देना सुनिश्चित करें।
- ☆ कृपया अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि एवं अन्य संबंधित मूल प्रमाण पत्रों की पूर्ण जांच करने के पश्चात् ही उपस्थिति मान्य की जाये।
- ☆ संबंधित सभी कार्यालय जल संसाधन की विभागीय वेबसाईट में <http://www.cgwrđ.in> में अपलोड किये गये पदस्थापना आदेश को डाउनलोड कर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

☆ टीप संबंधित कार्यालयों के लिए



(इन्द्रजीत उइके)

प्रमुख अभियंता,

जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़

नवा रायपुर अटल नगर